

**FORM 21C**  
**(See rule 64)**  
**(For use in General Election when Seat is contested)**

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION UNDER SECTION 66 OF THE  
REPRESENTATION OF THE PEOPLE ACT, 1951

---

Election to the Legislative Assembly of RAJASTHAN state from 072 - DEEG-KUMHER  
Assembly constituency

---

In pursuance of the provisions contained in the section 66 of the Representation of the  
People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Election Rules, 1961, I declare  
that

SHRI VISHVENDRA SINGH

MOTI MAHAL, BHARATPUR [Sponsored by INDIAN NATIONAL CONGRESS ] has been  
duly elected to fill the seat in the House from the above constituency

---

Place : M.S.J College Bharatpur (Rajasthan)

Date : 11.12.2018



  
(SHER SINGH LUHADIA)

Returning officer Assembly Constituency  
072 - Deeg-Kumher

रिटर्निंग ऑफीसर

072 डीग कुम्हेर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र  
उपसखण्ड अधिकारी एवं उपसखण्ड मजिस्ट्रेट, डीग

प्ररुप 21ग  
(नियम 64 देखें)  
(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

072 – डीग-कुम्हेर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि –

श्री विश्वेन्द्र सिंह

मोती महल, भरतपुर जो इंडियन नेशनल काँग्रेस द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान :- एम.एस.जे. कॉलेज, भरतपुर

तारीख :- 11.12.2018



हस्ताक्षर

(शेर सिंह लुहाड़िया)

रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा क्षेत्र

072 – डीग-कुम्हेर

रिटर्निंग ऑफिसर

77 डीग कुम्हेर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र  
उपस्यण्ड अधिकारी एवं उपस्यण्ड मजिस्ट्रेट, डीग